

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

भरत झा, भा०प्र०से०,
निदेशक, नगरपालिका प्रशासन
-सह-संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
(नगरपालिका)।

पटना, दिनांक:- 12-4-17

विषय:- नगर निकाय आम निर्वाचन, 2017 चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता अग्रिम भुगतान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगर निकाय आम निर्वाचन, 2017 चुनाव कार्य मई-जून, 2017 में संभावित है। इस अवसर पर चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त किये जाने वाले कर्मियों को अग्रिम यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता का भुगतान वित्त विभाग से परामर्शित निम्नांकित सारणी में अंकित दर के अनुरूप किये जाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है:-

क्र० सं०	कर्मियों का पदनाम	प्रशिक्षण प्राप्ति के दिनों की सं०	प्रशिक्षण कार्य पर भुगतान दर (रु०)	मतदान/मतगणना के दिनों की सं०	मतदान/मतगणना कार्य पर भुगतान दर (रु०)
1	2	3	4	5	6
1	पीठासीन पदाधिकारी	दो	350.00 रु० प्रतिदिन	तीन	350.00 रु० प्रतिदिन
2	मतदान अधिकारी (प्रथम एवं द्वितीय)	दो	250.00 रु० प्रतिदिन	तीन	250.00 रु० प्रतिदिन
3	मतदान अधिकारी तीन (चतुर्थवर्गीय कर्मी)	दो	150.00 रु० प्रतिदिन	तीन	150.00 रु० प्रतिदिन
4	सेक्टर पदाधिकारी/जोनल/गश्ती दल दण्डाधिकारी	एक	350.00 रु० प्रतिदिन	एकमुश्त	1500.00 रु० एकमुश्त
5	सरकारी चालक	-	-	दो/तीन	250.00 रु० प्रतिदिन
6	मतगणना पर्यवेक्षक	एक	350.00 रु० प्रतिदिन	एक	350.00 रु० प्रतिदिन
7	मतगणना सहायक	एक	250.00 रु० प्रतिदिन	एक	250.00 रु० प्रतिदिन
8	मतगणना अनुसेवक	एक	150.00 रु० प्रतिदिन	एक	150.00 रु० प्रतिदिन
9	पुलिस निरीक्षक/पुलिस अवर निरीक्षक	एक	350.00 रु० प्रतिदिन	दो/तीन	350.00 रु० प्रतिदिन

10	सहायक अवर निरीक्षक / हवलदार / सिपाही	एक	250.00 रू० प्रतिदिन	दो / तीन	250.00 रू० प्रतिदिन
11	चौकीदार / दफादार / दलपति / गृहरक्षक / एम०सी०सी० कैडेट / चतुर्थ वर्गीय पुलिस कर्मी	एक	150.00 रू० प्रतिदिन	दो / तीन	150.00 रू० प्रतिदिन

उपर्युक्त भुगतान की राशि में यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता दोनों सम्मिलित है।

- मतदान/मतगणना स्थल पर प्रतिनियुक्त चुनाव कर्मियों के भोजन/नाश्ते की व्यवस्था हेतु अधिकतम 150.00 (एक सौ पच्चास रूपये) प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दर से व्यय किया जा सकेगा। जहां ऐसा करना संभव नहीं हो वहां 150.00 (एक सौ पच्चास रूपये) मात्र की राशि प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति की दर से नकद भुगतान किया जायेगा।
- मतदान/मतगणना स्थल पर प्रतिनियुक्त पुलिस/सुरक्षा कर्मियों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता का भुगतान गृह विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गये आवंटन से किया जायेगा।
- यात्रा व्यय के लिए अग्रिम के रूप में कोषागार से निकासी की गयी राशि का समायोजन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-1011 दिनांक-17.02.2009 के अनुसार किया जायेगा।

विश्वासभाजन

निदेशक, नगरपालिका प्रशासन
-सह-संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।